वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

CIRCULAR No. 452

No. 5-1(61)/2008-PD

Dated 15th January, 2009

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub.: Recruitment Rules, 2008 for the post of Distinguished Scientist of CSIR.

Sir,

I am directed to state that Government of India, Cabinet Secretariat with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, has communicated approval of the competent authority for operation of 30 positions of Distinguished Scientist, including for Scientist/Technologist of Indian Origin (STIO) in the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) in the pay scale of Rs. 75,500 (annual increment @ 3%)-80,000 {pre-revised Higher Administrative Grade + of Rs.24050-650-26000} by upgradation of 30 existing posts of Group IV Scientist. The "Recruitment Rules, 2008 for the post of Distinguished Scientist of CSIR" duly approved by the Governing Body in its 172nd meeting held on 7th November, 2008 are forwarded herewith for information. These rules will come into force with immediate effect.

The recruitment to the post of Distinguished Scientist of CSIR shall be made centrally through Recruitment and Assessment Board (RAB).

Yours faithfully,
15/01/09
(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:-

1. Chairman, RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi.
2. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.
3. PA to Director General, CSIR for DG's information

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

Recruitment Rules, 2008 for the post of Distinguished Scientist of CSIR

In exercise of powers conferred under Bye-law 11 of the Rules & Regulations and Bye-laws of CSIR, the Governing Body of CSIR formulates the following Recruitment Rules for the post of Distinguished Scientist of CSIR to be placed in various Labs./Instts./Centres/Hqrs. of CSIR.

2. Short Title & Enactment:

These Rules shall be called "Recruitment Rules, 2008 for the post of Distinguished Scientist of CSIR" to be placed at various Labs./Instts./Centres/Hqrs. of CSIR and shall come into force with effect from the date of notification.

3. Scope of Rules:

These Rules shall govern appointment to the post of "Distinguished Scientist" of CSIR to be placed at various Labs./Instts./Centres/Hqrs. of CSIR.

4. Definitions:

All words and abbreviations in these Rules shall have the same meaning and definition/interpretation as given in the Rules & Regulations and Bye-laws of CSIR.

5. Eligibility Criteria:

The Applicant must be citizen of India or Scientist/Technologist of Indian origin (STIO). The position will be offered to Scientists/Technologist with –

(i) Proven track record in areas of cutting edge Science & Technology
(ii) International eminence
(iii) Leadership qualities required for building/nurturing new groups of young Scientists in emerging areas of Science & Technology and of interest to the country.

6. Notification/Advertisement:

The post of Distinguished Scientist of CSIR to be placed in various Lab./Instt./ Centre/Hqrs. of CSIR will be given wide publicity.

7. Constitution of Selection Committee and process of Selection:

(i) The Selection Committee for recommending the suitable incumbent shall be constituted with the approval of Vice-President, CSIR. In case, there is no Vice-President in position, approval of the President, CSIR shall be obtained.

(ii) The Selection Committee shall comprise of five members as follows :-
   (a) Chairman, CSIR RAB as Chairman;
   (b) Three Eminent Scientists/Technologists in the relevant fields of which at least one shall be external to CSIR; and
   (c) DG, CSIR & Secretary, DSIR.

(iii) The Selection Committee shall consider nominations received from eminent Scientist/Technologist as and when such nominations are received and recommend suitability of the candidate.

(iv) The recommendation of the Selection Committee shall be submitted to the appointing authority for approval.

8. Scale of Pay:

The posts of Distinguished Scientist of CSIR to be placed in various Labs./Instts./ Centres/Hqrs. of CSIR shall be in the pay scale of Rs. 75,500-(Annual Increment @ 3%)-80,000, or such consolidated pay as recommended by the Committee.

9. Tenure of Appointment:

The tenure for appointment of Distinguished Scientist of CSIR shall be on contractual basis for a period not exceeding five years, or till superannuation, whichever is earlier.

10. Extension of tenure:

Extension of tenure shall be considered by an Evaluation Committee comprising of DG, CSIR as Chairman, Chairman, CSIR RAB; and three eminent Scientists/Technologists/Experts in the relevant fields to be constituted by the Vice-President, CSIR. The Committee's recommendations shall be accepted by the Vice-President, CSIR. Any proposal to reject the recommendations of the Committee will require the approval of the President, CSIR.

11. Appointing Authority:

The Appointing Authority for the position of Distinguished Scientist of CSIR shall be the President, CSIR.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAI RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं.452

सं. 5-1(61)/2008-पीडी

दिनांक:15 जनवरी, 2009

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय
प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2008

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में समूह-IV वैज्ञानिक के मौजूदा 30 पदों के उन्नयन द्वारा रु.75,500 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - रु. 80,000 (पूर्व-संशोधित उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + रु.24,050-650-26,000) के वेतनमान में भारतीय मूल के वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद (एसटीआईओ) सहित प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के 30 पदों को प्रभावी बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को संसूचित किया है। शासी निकाय द्वारा दिनांक 7 नवंबर, 2008 को सम्पन्न अपनी 172वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित "सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2008" को इस पत्र के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद पर भर्ती भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) के माध्यम से केन्द्रीय रूप से की जाएगी।

इस परिपत्र के हिंदी पाठ में किसी प्रकार की द्वय अर्थकता व अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रति:

1. अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
2. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव को महानिदेशक की सूचनार्थ

सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2008

सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों और उप–विधियों की उप–विधि 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सीएसआईआर की शासी निकाय ने सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय में नियुक्त किए जाने वाले सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु निम्नांकित भर्ती नियमावली तैयार की है।

2. लघु शीर्षक एवं अधिनियमन :

इन नियमों को सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय में नियुक्त किए जाने वाले "सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2008" के नाम से जाना जाएगा तथा ये नियम इन्हें अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

3. नियमों का विषय क्षेत्र :

सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय में नियुक्त किए जाने वाले सीएसआईआर के "प्रतिष्ठित वैज्ञानिक" के पद पर नियुक्ति इन नियमों के अनुसार की जाएगी।

4. परिभाषाएं :

इन नियमों में दिए गए सभी शब्दों एवं संक्षिप्तियों का अर्थ और परिभाषा/निर्वचन सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों और उप–विधियों के अनुसार होगा।

5. पात्रता मानदण्ड :

आवेदक भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल का वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद (एसटीआईओ) हो। निम्नांकित योग्यता रखने वाले वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को यह पद दिया जाएगा:

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों में प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड

(ii) अंतर्राष्ट्रीय ख्याति

(iii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और देश हित के उभरते हुए क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के नए समूह तैयार/पोषित करने के लिए अपेक्षित नेतृत्व क्षमताएं

6. अधिसूचना/विज्ञापन :

सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय में नियुक्त किए जाने वाले सीएसआईआर के "प्रतिष्ठित वैज्ञानिक" के पद का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

7. चयन समिति का गठन एवं चयन प्रक्रिया :

(i) उपयुक्त पदधारी की संस्तुति करने के लिए चयन समिति का गठन उपाध्यक्ष, सीएसआईआर के अनुमोदन से किया जाएगा। उपाध्यक्ष के पद पर न होने की स्थिति में अध्यक्ष, सीएसआईआर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) इस चयन समिति में निम्नांकित पांच सदस्य होंगे:-

(क) अध्यक्ष के रूप में सीएसआईआर, आरएबी के अध्यक्ष
(ख) प्रासंगिक क्षेत्रों के तीन उत्कृष्ट वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद जिनमें से कम से कम एक सीएसआईआर से बाहर का होगा; और
(ग) महानिदेशक, सीएसआईआर एवं सचिव, डीएसआईआर

(iii) चयन समिति उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों से नामांकन प्राप्त होते ही उन पर विचार करेगी और आवेदक की उपयुक्तता को संस्तुति प्रदान करेगी।

(iv) चयन समिति की संस्तुति को नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

8. वेतनमान

सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय में नियुक्त किए जाने वाले सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद **रु.75,500 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) – रु. 80,000 के वेतनमान अथवा समिति द्वारा संस्तुत समेकित वेतन में होंगे।**

9. नियुक्ति की अवधि

सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की नियुक्ति की अवधि संविदागत आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि अथवा **अधिवर्षिता प्राप्ति, जो भी पहले हो,** तक होगी।

10. अवधि में विस्तार दिया जाना:

उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा गठित की जाने वाली मूल्यांकन समिति द्वारा इस अवधि में विस्तार दिए जाने पर विचार किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष की हैसियत से सीएसआईआर के महानिदेशक, अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी), तथा प्रासंगिक क्षेत्रों के तीन उत्कृष्ट वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद/विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समिति की सिफारिशें उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा स्वीकार की जाएंगी। समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने विषयक किसी प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष, सीएसआईआर का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

11. नियुक्ति प्राधिकारी :

सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष, सीएसआईआर होंगे।